6/5/19 पत्रावली पेश हुई/सकाल उपस्थित है
P.O. Sb अवकाश पर/मुख्य कार्य में व्यस्त/
आज्ञा पत्र/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक ..27/6/19 को पेश हो

27/6/19 पत्रावली पेश हुई/सकाल उपस्थित है
P.O. Sb अवकाश पर/मुख्य कार्य में व्यस्त/
आज्ञा पत्र/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 27/8/19 को पेश हो

3/9/19 निर्धारित तिथि का अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में ली गई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/9/19 को पेश हो

27/9/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/10/19 को पेश हो

17/10/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– प्रार्थना–पत्र / 323 / 2015

1. गिरधारी पुत्र मोहन
2. भागीरथमल पुत्र कुम्भाराम
3. प्रभाती लाल पुत्र कुम्भाराम
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम
5. भुरी देवी पत्नी स्व. कुम्भाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण आंतरी तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. पुरणमल पुत्र स्व. पोखर
2. छोटुराम पुत्र स्व. पोखर
3. बनवारीलाल पुत्र स्व. पोखर
4. बजरंगलाल पुत्र स्व. पोखर

समस्त जाति मीणा निवासीगण आंतरी तहसील धोद जिला सीकर

5. तहसीलदार, धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत प्रसारित किये जाने अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री महेश कुमार जांगिड, वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश सोनी, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से

–आदेश:–

दिनांक– 17.10.2019

01. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत प्रसारित किये जाने अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत आवेदन से संबंधित मूल दावा बहुत ही ठोस आधारों पर पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण के पैतृक खाते कब्जे कश्त की भूमि खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.65 हैक्टेयर राजस्व ग्राम आंतरी तहसील धोद में अवस्थित है जिसका पुराना खसरा नम्बर 443/3 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा रहा है। भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर 443/3 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.65 हैक्टेयर कायम किये गये जबकि 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि का हैक्टेरों में रकबा 1.29 हैक्टेयर होता है भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूल व सहवन से अथवा अप्रार्थीगण की सांजिश से 0.64 हैक्टेयर भूमि रिकार्ड में कम दर्ज कर दी तथा अप्रार्थीगण के खातों में रकबा गलत रूप से बढ़ा दिया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

क्रम सं	खातेदार का नाम	पुराना खसरा नम्बर व रकबा	नये खसरा नम्बर व रकबा	गलत रूप से बढ़ाया गया रकबा हैक्टेयरों में
01	पोखर पुत्र तेजा मीणा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज	444/4 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा	1042 रकबा 3.89 हैक्टेयर	0.20 हैक्टेयर
02	नारायण पुत्र रामलाल कौम स्वामी प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पूर्वज	405/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा	1031,रकबा 2.71 हैक्टेयर	0.22
03	हीरा वल्द चिमना कौम जाट प्रतिवादी संख्या 12 के पूर्वज व 13 से 18 को भूमि विक्रेता	खसरा सं 396, 390, 403, 404, 444/6, 402/1, रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा	999,1022, 1032,1037, 1038,1040 रकबा 14 48 हैक्टेयर	0.40 हैक्टेयर
04.	ईशरा पुत्र लखु जाति जाट प्रतिवादी संख्या 19 से 22 का पूर्वज	444/5 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा	1010, रकबा 0.75 हैक्टेयर	0.09 हैक्टेयर

रेवन्यू रिकार्ड मे गलत अंकन मात्र से अनाधिकृत अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नही हो जाते तथा अधिकृत प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते इसलिये राजस्व रिकार्ड दुरस्त कर भूमि खसरा नम्बर 1044 का रकबा 1.29 हैक्टेयर दर्ज किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण को रिकार्ड दुरस्त करवाने हेतु कहने पर हां हू कर रिकार्ड दुरस्त करने का आश्वासन देते रहे दिनांक 01.07.2011 को रिकार्ड दुरस्त करवाने से इन्कार हो गये तथा कहा कि हमारे खाते में जमीन ज्यादा है हम तुम्हारे नाम नहीं करवायेगे अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो बडे भूमाफिया को जमीन बेच देगे अप्रार्थीगण को उपरोक्त दृष्कृत्य से बाज रहन हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार खुद काबिज काश्तकार होने से प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर अपनी खातेदारी की अन्य भूमियों में मिला लेना चाहते है, जिससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी।मामले में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1042 रकबा 3.89 है, खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.65 हैक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील व जिला सीकर की नीव सींव तोड फोड़ करने मौके सुरत बदलने कच्चा पक्का निर्माण करने प्रार्थीगण को पुराना खसरा नम्बर 443/3 रकबा 5 बिघा 3 बिस्वा अर्थात 1.29 हैक्टेयर भू भाग से जबरन बेदखल करने विक्रय रहनदान करने करवाने से दौराने दावा बाज रहे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से जवाब आवेदन पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें उल्लेखित किया कि आवेदकगण का कब्जा काश्त कभी भी 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर नहीं रहा है उनका सदैव से कब्जा 065 हैक्टैयर पर रहा है तथा खसरा नम्बर 1044 रकबा 065 हैक्टैयर आवेदकगण की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned with CamScanner

खातेदारी में सही तौर पर अंकित किया गया है। अनावेदक उत्तरदाता ने किसी से कोई साजिस नहीं की है तथा आवेदकगण कीद कोई जमीन कम नहीं की है। जितनी भूमि पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है उसकी खातेदारी सही तोर पर दी गई है। सेटलमेन्ट अधिकरियों ने घर घर जाकर पर्चे बाँटे थे तथा आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी आवेदकगण का अपनी खातेदारी की जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था उतनी ही भूमि का पर्चा दिया गया था। आवेदकगण ने इस बाबत कोई आपत्ति नहीं की तथा आवेदकगण को खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.85 हैक्टेयर बाबत जानकारी 30 वर्षो से भी अधिक समय से हैं। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है न ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष मे है व न ही उन्हें कोई अपूरणीय क्षति हो रही है इसलिए आवेदकगण का आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है। आवेदकगण का कब्जा कभी भी 1.29 हैक्टेयर पर नही रहा है इसलिए कब्जे के अभाव में बिना कब्जे का पारिणामिक अनुतोष चाहे जाने के कारण वादीगण का वाद निरस्त किए जाने योग्य होने से प्रस्तुत आवेदन निरस्त होने योग्य है।

03 उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराना खसरा सं. 443/3 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि का नया खसरा सं. 1044 रकबा 0.89 हैक्टेयर बना है। इससे स्पष्ट है कि पुराने खसरा सं. से बनाये नये खसरा सं. 1044 का रकबा कम अंकित किया गया है लेकिन इस मिलान क्षेत्रफल से यह निःसंदेह स्पष्ट नहीं है कि उक्त खसरा नम्बर का रकबा कम करके अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज खसरा सं. 1042 में ही बढाया गया है। विवादित खसरा नम्बर का रकबा कम करके किस खसरा नम्बर या किन खसरा नम्बर में डाला गया इसका फैसला मूल प्रार्थना–पत्र की सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् ही तय किया जा सकेगा। इसके लिए पुराने खसरा नम्बर 443 व 444 से बने समस्त नये खसरा नम्बरों के क्षेत्रफल का विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया बनता तो जरूर है, लेकिन यह प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दावा हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.11 11:29:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: